राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1703/2024

भुवनेश्वर पारीक

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन, जयपुर।
3. दिनेश कुमार मीणा वर्तमान पदस्थापित सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सिटी सब–डिविजन–9, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 30.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री पल्लव शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा नगर उपखण्ड–नवम (दक्षिण), जयपुर से उपखण्ड मूण्डवां किया गया था, जिस आदेश को अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 3164/2024 में चुनौती दी थी। उक्त रिट याचिका का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 04.03.2024 द्वारा किया, जिसमें यह निर्देश दिये गये कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निस्तारित किया जाएगा। अभ्यावेदन के निस्तारित किये जाने के आदेश के बाद वो आदेश लागू किया जाएगा। साथ ही यह निर्देश दिये कि अभ्यावेदन निस्तारण तक स्थानांतरण आदेश स्थगित रहेगा। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 06.03.2024 को अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया, जिसे प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 08.04.2024 के द्वारा निस्तारित किया। इस अपील में अपीलार्थी ने अपने स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं अभ्यावेदन के निस्तारण के आदेश दिनांक 08.04.2024 को चुनौती दी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का अभ्यावेदन ठीक प्रकार से निस्तारित नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति अगस्त, 2025 में होनी है। ऐसे में अपीलार्थी को स्थानांतरित किया जाना उचित नहीं था। उनका यह भी तर्क है कि

जिस समय स्थानांतरण आदेश पारित किया गया था, उस समय तक अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी को स्थानांतरित नहीं किया गया था। अपीलार्थी को दिनांक 22.02.2024 के द्वारा स्थानांतरण कर अपीलार्थी के स्थान पर दिनेश कुमार मीणा को पदस्थापित किया गया और दिनेश कुमार मीणा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस कारण से अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण में यह माना गया कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि दिनेश कुमार मीणा एवं अपीलार्थी को एक स्थानांतरण आदेश के द्वारा स्थानांतरित किया गया था, इस कारण से सहायक प्रशासनिक अधिकारी का जयपुर मुख्यालय में पद रिक्त नहीं होना माना जाना गलत है। इस प्रकार अभ्यावेदन गलत प्रकार से निस्तारित किया गया है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारण में प्रत्यर्थी विभाग ने यह माना है कि विभाग की कार्य व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रशासनिक आदेश पारित किया गया है। यदि प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी कार्मिक का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करता है तो उस प्रशासनिक आदेश में तब तक इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जब तक आदेश दुर्भावनापूर्वक एवं विधि–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। हम यह भी पाते हैं कि अभ्यावेदन के निस्तारण में यह माना गया है कि जयपुर मुख्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त नहीं है। चूंकि अपीलार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति को पदस्थापित किया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी के लिए पद रिक्त नहीं होना माना जा सकता है। हम यह भी पाते हैं कि अभ्यावेदन के निस्तारण में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि अभ्यावेदन पर जो भी निर्णय होगा, वह लागू किया जाएगा। अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण को दुर्भावनापूर्ण होना नहीं माना भी जा सकता है। ऐसे में अभ्यावेदन के निस्तारण के आदेश दिनांक 08.04.2024 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. परिणामस्वरूप हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)